

अनुसूचित जातों के लिए आरक्षण का प्रावधान संविधान में जारी है।

25/12 मावसम 4/5 सुला को.

21.6.12 परतपती राज्य (व लोड अदास्त कर्मिपा
 मे पंजापत सुखासप आगे की बाणी मे
 पेट डई/ पसकातन को जाती लोन
 अदालत नोतीत काड नामील लाप डई/ जो
 शापील मिपल हो/ मोका रिपोर शापील
 मिपल की गई/ पसकातन पप आधीपका
 कापपुड लपना के हापीर नही डर डी
 इत कापण उकाण का मिनाका सुकापुका
 अगुणावगुण पर मिना जा रहा है/ मिप
 मे पापा, मि सुमीगण हरा इपनी लोतेदारी
 खेत लपना लंख्या 236 मे काकागपत
 हेतु मिनापी पनी लोतेदारी लोत अवरा
 लंख्या 245 मे ले चल रहे अदीपी साले
 की कापपमहा लेने के कापण कापेड
 पेट मिना गमा है/ इलका पहवाटी चपे
 की बाणी मे इपनी मोका रिपोर मे शपी
 लंख्या 236 मे पड़ेपते हेतु कापण
 पागी हे ख. ल. 245 के उली मोर ले
 कसरे. ससरे ही काकागपत का रास्ता/ कांडी
 उपलब्ध होना कतापा है. इतके अलावा नपदीक
 मे अन्नप जोई मिपपप विपपति नही होगी व
 उलेख मिपा है/ इत उकाण अलावित रास्ता
 की लंखाई 70 गपण व मोरुई 4 गपण पाति
 $70 \times 4 = 280$ कर्ग गपण आति 14 खिलवा साले
 के उपपोग मे कापेगी/ चं शपी की PLC रेड
 गिनावित 43 660/- इति कीधा होना कांतिर मिपा

सहायक कलेक्टर
 306 डिप्यारी

विधा गदा | इत व सुधार आरतू DUC 32
की डोगुना राशी विधानी रु. को विधा
पाना ये रेदी हत मे आमी का अवेद
स्वीकार काने योग्य ये लं पपमे आप मे
मी उक्त लपमे की पुष्टि होती है

गरीबाणा आमी का आवेदन राणाएव
लोक अदालत की भावना को ध्यानपर
रखते हुए स्वीकार विधा पाना ग्राह
गालानाडी तहसील सिनाखरी की लाना
करंवा 236 रकवा 27-12 बीघा आमी ले
रुप तक आवागमन हेतु रली ग्राह की ल. नि.
245 रकवा 25-04 बीघा मे से मोका रिपोर्ट
के संज्ञान गच्छे मे करंवा लाख (डेन लाख पेन मे)
से दरलाये अनुसार 26 कीर ये डर राणा
निवापते की स्वीकृति सुदान की जाती है आमी
हारा शक्ति इति राशी विधानी रु 01 (सुरता नलडागीरवारी)
को रव. स. 245 रकवा 25-04 बीघा आमी 0 मे
से सुलाखित रकवा 0-14 बीघा आमी के लिए राशी-
61,124/- अगरे इस्सिड हजार हर ले मोकीन
अपने दाव तहसील नापालप त्रिगवरी मे संज्ञाहित
पु 55 रकवा के वारिपे राज्यकोष मे जमा करवापे
जाने पर तहसील त्रिगवरी को ग्राह. गालानाडी की
रव. स. 245 रकवा 25-04 बीघा आमी मे ले
सुलाखित रकवा 0-14 बीघा का लाने मे जाने गली
आमी का राज्यकोष खारे मे डेर पुमाईत राणा के
काप मे राज्य गरीबा मे अतल इराफड इन गच्छा हेत

सहायक कलेक्टर
and. सिनाखरी

मे कुकली सुनिश्चित करने के आदेश
दिए जाते हैं। यह सभी दस्तावेजों
की जांच करके सुनिश्चित किया जाएगा कि
आदेशों की जांच के संलग्न नक्शा उक्त
आदेशों का आदेशों में होगा।

आदेशों में आम सुनिश्चित किया गया।

पत्रावली के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा
दस्तावेजों में।

दिनांक
21/01/12
सहायक सचिव
SDE दिल्ली